



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20042021-226703  
CG-DL-E-20042021-226703

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 226]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 20, 2021/चैत्र 30, 1943

No. 226]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 20, 2021/CHAITRA 30, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अप्रैल 2021

सं. 27/2021-सीमाशुल्क

**सा.का.नि. 284(अ).**—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आशवस्त होने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, केंद्रीय सरकार एतद्वारा ऐसे माल, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है और जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय, शीर्ष, उप-शीर्ष अथवा टैरिफ मद के अंतर्गत आते हैं जो कॉलम (2) में सामने की प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, पर कथित प्रथम अनुसूची के अन्तर्गत लगने वाले संपूर्ण सीमा शुल्क से, जब वह भारत में आयातित हो, छूट प्रदान करती है, यथा:-

सारणी

क्र. सं.	अध्याय, शीर्ष, उप-शीर्ष अथवा टैरिफ मद	माल का विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	29	रेमडेसिवीर एकिटब फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स
2.	29	बीटा सैक्लोडेक्सट्रिन (एसबीईबीसीडी), रेमडेसिवीर के उत्पादन के लिए,

		यदि आयातकर्ता सीमा शुल्क (शुल्क की रियायती दर पर माल का आयात) नियम, 2017 में उपवर्णित प्रक्रिया का अनुसरण करता है।
3.	30	इंजेक्शन रेमडेसिवीर

2. यह अधिसूचना 31 अक्टूबर, 2021 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, लागू रहेगी।

[फा. सं. 354/3/2021-टीआरयू]

गौरव सिंह, उपसचिव

**MINISTRY OF FINANCE  
(DEPARTMENT OF REVENUE)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th April, 2021

**No. 27/2021—Customs**

**G.S.R. 284(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods of the description specified in column (3) of the Table below, falling within the Chapter, heading, sub-heading or tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) specified in column (2) of the said Table, when imported into India, from the whole of the duty of customs leviable thereon under the said First Schedule, namely—

**TABLE**

S.No.	Chapter or heading or sub-heading or tariff item	Description of goods
(1)	(2)	(3)
1.	29	Remdesivir Active Pharmaceutical Ingredients.
2.	29	Beta Cyclodextrin (SBEBCD) used in manufacture of Remdesivir, subject to the condition that the importer follows the procedure set out in the Customs (Import of Goods at Concessional Rate of Duty) Rules, 2017.
3.	30	Injection Remdesivir.

2. This notification shall remain in force upto and inclusive of the 31<sup>st</sup> October, 2021.

[F.No. 354/3/2021-TRU]

GAURAV SINGH, Dy. Secy.